



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४३

११ अग्रहायण १९४२ (श०)
पटना, बुधवार, —————
२ दिसम्बर २०२० (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि।	भाग-९-विज्ञापन
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४-बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

६-७

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

13 नवम्बर 2020

सं० 05/स्था०-01-50/2018/8069—श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए दिनांक-13.11.2020 से 20.11.2020 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की माँग की गई है। श्री कुमार से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 13.11.2020 से 20.11.2020 तक स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)

अधिसूचनाएं

1 अक्टूबर 2020

सं० कारा/स्था० (चि०)-01-03/2016/6956—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1017(2)/स्वा०, दिनांक-11.09.2020 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1044(2) दिनांक-21.09.2020 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 9300-34800/- (पी०बी०-2) ग्रेड पे०-5400 तथा पुनरीक्षित वेतनमान के 9वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध 13 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6568 दिनांक-22.09.2020 द्वारा राज्य के विभिन्न काराओं में पदस्थापित किया जा चुका है। शेष 02 चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही कारा निरीक्षणालय में अपना योगदान दिया गया था। शेष 02 चिकित्सा पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	चिकित्सक का नाम	पिता का नाम	गृह जिला	कारा निरीक्षणालय में योगदान की तिथि	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6
1	डॉ० निधि अग्रवाल	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	पटना	22.09.2020	मंडल कारा, बिहारशरीफ
2	डॉ० पवन कुमार	श्री भिखारी पंडित	पूर्वी चम्पारण	21.09.2020	श०खु०राम, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर

2. दोनों सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. दोनों नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी योगदान के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ पत्र, सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) तथा सम्पत्ति का ब्यौरा (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खॉं, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

22 सितम्बर 2020

सं० कारा/स्था० (चि०)—01—03/2016—6566—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना झापांक 1017(2)/स्वा०, दिनांक—11.09.2020 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर आपबन्धिक रूप से नियुक्त 20 (बीस) सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध 17 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। उन 17 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से 04 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्चतर शिक्षा हेतु अध्ययनरत रहने तथा जूनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य करने के आलोक में इस विभाग में उनके द्वारा योगदान करने के उपरान्त अध्ययन/टेन्योर अवधि के लिए विरमित किया जा चुका है। शेष 13 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम	पिता का नाम	गृह जिला	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5
1	डॉ० मधु कुमारी	बुलबुल सिंह	बेगुसराय	मंडल कारा, मुंगेर
2	डॉ० रूपेश कुमार सिंह	सुरेन्द्र सिंह	बेगुसराय	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना
3	डॉ० अमित कुमार	देव नारायण दास	बेगुसराय	मंडल कारा, खगड़िया
4	डॉ० शिमेला हैदर	मो० इसराईल	अरवल	मंडल कारा, गोपालगंज
5	डॉ० धीरज कुमार कर्ण	राम सागर पासवान	बेगुसराय	मंडल कारा, कटिहार
6	डॉ० रितेश रंजन	नन्द किशोर शर्मा	नालन्दा	उपकारा, बेनीपट्टी
7	डॉ० अमरेश कुमार	भूपेन्द्र प्रसाद यादव	सहरसा	उपकारा, झंझारपुर
8	डॉ० अखिलेश कुमार भारती	शंकर प्रसाद	समस्तीपुर	मंडल कारा, दरभंगा
9	डॉ० साजिया असरार	मो० असरार अंसारी	रोहतास	उपकारा, पटना सिटी
10	डॉ० अनुराग पप्पु	संजय कुमार शर्मा	समस्तीपुर	उपकारा, बेनीपुर
11	डॉ० उमा शंकर गुप्ता	भुवनेश्वर प्रसाद	नवादा	मंडल कारा, शिवहर
12	डॉ० कुमारी नीतू सिन्हा	राजकिशोर प्रसाद	पटना	मंडल कारा, हाजीपुर
13	डॉ० कुमार राजेश	सुरेश शर्मा	पटना	मंडल कारा, शेखपुरा

2. सभी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी योगदान के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ पत्र, सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कड़िका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) तथा सम्पत्ति का ब्यौरा (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

सं० 8/आ०(राज०उ०)—02—20/2013/2977—श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरुद्ध औरंगाबाद जिला में वर्ष 2013-14 के लिए शराब दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त रु. 24,51,000/- (चौबीस लाख इकावन हजार) रुपये को कोषागार के वज्रगृह में सुरक्षित न रख कर देशी शराब विनिर्माणशाला/मद्य भंडागार परिसर में रखा गया, जहाँ से दिनांक 01.03.2013 की रात्रि में उक्त राशि के गायब हो जाने के आरोप में संकल्प संख्या 3576 दिनांक 05.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी की निष्क्रियता के कारण सरकारी राजस्व रु. 24,51,000/- की क्षति होना निष्कर्षित किया गया। बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के दौरान Representation of peoples Act, 1951 का उल्लंघन कर निर्वाचन कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन के आरोप के लिए संचालित एक अन्य विभागीय कार्यवाही में भी श्री झा के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया।

2. किसी सरकारी कर्मी के विरुद्ध सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 तथा Representation of peoples Act, 1951 का उल्लंघन प्रमाणित होने के पश्चात् उन्हें सेवा में बने रहना

उचित नहीं है। अतएव पूर्ण विचारोपरान्त श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथासंशोधित 2007 के नियम-14(xi) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. विभागीय दण्डादेश के विरुद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-2590/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2019 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है :-

“Thus, in cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal rule. It is also a trite law that onus lies on the employer to specifically plead and prove that the employee was gainfully employed, which the respondents in the present case have failed to do so. Another factor to be considered is that in case the employer has acted in gross violation of the statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then the court concerned will be fully justified in directing payment of full back wages. I find that the present case is a case of gross injustice meted out to the petitioner herein by the respondents and the materials on record sufficiently demonstrates that the principles of natural justice has been given a go by and the petitioner has been victimized, as such I am of the view that as a consequence of quashing of the enquiry report, second show cause notice and the order of punishment, the petitioner is entitled for full back wages along with all other admissible consequential benefits.

The writ petition stands allowed with a direction to the respondent- authorities to pay the back wages along with the admissible consequential benefits within a period of twelve weeks from today.”

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गई। विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श है कि :- “The appeal can be filed on the limited ground that after quashing the order of punishment the Hon’ble single judge ought to have given liberty to the respondent to proceed afresh in view of several decision of the Hon’ble Court.”

5. विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में आलोच्य एल0पी0ए0 दायर करने हेतु संचिका पुनः विधि विभाग को भेजी गयी। इसी बीच याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 दायर किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से कारण पृच्छा दायर करना आवश्यक है। लेकिन एल0पी0ए0 दायर करने की प्रतीक्षा में एम0जे0सी0 का कारण पृच्छा दायर किया जाना लम्बित है।

6. श्री झा द्वारा दायर MJC No 5225/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2020 को निम्नलिखित निदेश दिया गया है:-

“Eight weeks’ time is granted to the opposite parties for showing compliance of the order dated 17.05.2019 passed in C.W.J.C. no. 2590 of 2017, disobedience whereof has been complained of. List this case after twelve weeks.”

कारण पृच्छा दायर होने में विलम्ब को देखते हुए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित परामर्श दिया गया :-

“This file was received in the office of the Advocate General on 04.03.2020 for filing LPA against judgment dated 17.05.2019 passed in CWJC No 2590/2017 and thereafter marked to the undersigned. Soon thereafter Holi vacations began and after reopening physical filing of LPA is not being accepted due to the pandemic.

Today the I.G registration talked to me on phone regarding implementing the writ court Judgment subject to the outcome of the proposed LPA in view of contempt case said to be pending, thereafter having discussed the matter with your good self telephonically, I am returning this file for implementing the writ court judgment subject to the outcome of the proposed L.P.A.

As per the prevailing situation, physical filing of cases including LPA will not be permitted up to 06.09.2020 as of now. Hence, after issuing order for implementing the judgment in question, this file may be again sent to us for filing LPA.”

7. विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में तत्काल न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री झा के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए परिणामी वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना अपेक्षित है। तदुपरान्त अवमाननावाद में कारण पृच्छा दायर करने के पश्चात् एल0पी0ए0 दायर किया जा सकेगा।

8. प्रश्नगत मामले में कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण तत्काल एल0पी0ए0 दायर किया जाना संभव नहीं है और इस मामले में दायर अवमाननावाद में ससमय कारण पृच्छा दायर किया जाना आवश्यक है। अतएव विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-2590/17 में दिनांक 17.05.2019 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाना समीचीन है।

9. कार्यपालिका नियमावली, 1979 की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 1093 दिनांक 20.11.2018 द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त प्रावधानित किया गया है कि “ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों एवं उनके विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा।”

10. वर्णित स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:-

(i) विभागीय अधिसूचना संख्या-3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा श्री सुधीर कुमार झा को सेवा से बर्खास्तगी दण्डादेश को निरस्त करते हुए परिणामी लाभ प्रदान की जाय।

(ii) साथ ही उक्त मामले में सरकार द्वारा एल0पी0ए0 दायर करने के फलस्वरूप एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेश के फलाफल से यह प्रभावित होगा।

अतः समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री सुधीर कुमार झा, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध अधिसूचना सं0-3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। फलतः श्री झा को पारिणामी लाभ देय होगा।

इस मामले में सरकार द्वारा एल0पी0ए0 दायर किये जाने पर एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेश से यह आदेश प्रभावित होगा।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 31-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

बिहार राज्य वित्तीय निगम
फ्रेजर रोड, पटना-1

सूचना

27 नवम्बर 2020

सं0 1273--सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2020 को 3.00 बजे अपराह्न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगी :-

- (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को 4.00 बजे अपराह्न के पश्चात् निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की सम्पुष्टि ;
- (ii) निगम का वित्तीय वर्ष 2018-2019 का लेखा, उस पर अंकेंक्षक का प्रतिवेदन, लाभ-हानि का ब्योरा एवं निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्वद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना ;
- (iii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार ।

टिप्पणियाँ :

1. अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय निगम (मताधिकार) नियमावली, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा ।
- 1(i) कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा-पत्र, 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम मुख्यालय में उप प्रबन्धक(समन्वय) के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक 25.11.2020 को 2.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाय ।
- 1.(ii) वे अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के अधिकारी हैं, वे बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए अपने बदले किसी प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने के भी अधिकारी हैं एवं उस प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) को निगम का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है ।
- 1.(iii) प्रति-पत्रियों को प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिपत्री को निगम द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में भरकर निगम के मुख्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास कार्यालय अवधि में बैठक की निर्धारित तिथि से स्पष्टतः 7(सात) दिन पूर्व निश्चित रूप से जमा कर दिये जायें, अर्थात् 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2020 हेतु इन्हें दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाए ।
- 1(iv) कोई भी व्यक्ति, निगम के किसी भी सामान्य बैठक में किसी कम्पनी अथवा निगम/निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है, यदि उस व्यक्ति को निगम के विहित प्रपत्र में भरकर उस निगम/निकाय का संकल्प जिससे उस व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, का उस संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित करते हुए निगम के मुख्य कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 4(चार) स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं किया गया हो अर्थात् दिनांक 25 नवम्बर 2020 की बैठक के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे

अपराहन तक इसे निर्धारित स्थान पर जमा किया जाना आवश्यक है। परन्तु सरकारी अवकाश के आलोक में 19 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे अपराहन तक विहित प्रपत्र जमा करना आवश्यक है।

सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उपरोक्त संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात् उस बैठक हेतु जिसके लिए वह नियुक्ति हुई है, वापस नहीं ली जा सकती है।

2. अंशधारक कृपया ध्यान देंगे कि यह प्रावधान, अन्य के अलावा, निगम/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक या अन्य पद धारकों पर भी लागू होता है एवं इस प्रावधान के अनुपालन के वगैर वे पदधारक भी बैठक में उपस्थित होने अथवा बैठक में विचारार्थ किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

3. स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण का संकल्प, जो भी जहाँ लागू हो, का विहित प्रपत्र निगम के उप प्रबन्धक(समन्वय) के कार्यालय से किसी कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

4. यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण निगम के सभी सामान्य बैठकों में किया जायेगा तथा हर बैठक के लिए नए सिरे से विशिष्ट स्व-घोषणा-पत्र/प्रति-पत्री/प्राधिकरण के लिए संकल्प की आवश्यकता होगी।

5. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें एवं पुनः अनुरोध है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण के लिए संकल्प, जो भी उनपर लागू हो प्रत्येक के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही, विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरकर एवं सभी तरह से पूर्ण कर निगम के प्रधान कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास, जमा कर दिया जाय, अन्यथा वे निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

6. निगम के अंशधारकों का खाता दिनांक 11 नवम्बर, 2020 से दिनांक 25 नवम्बर, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा।

7. अंशधारकों से अनुरोध है कि उनके परिवर्तित पते, यदि कोई हो, वित्तीय निगम को सूचित करें।

8. अंशधारकों की सूची निगम मुख्यालय में अंशधारकों द्वारा 10 रूपया (दस रूपया) प्रति सूची की दर पर खरीदने हेतु 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व यथा दिनांक 5 नवम्बर, 2020 से उपलब्ध होगी।

निदेशक पर्वद के आदेश से,
सरिता चौधरी, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक।

सूचना

सं० 1302—मैं कुमार सौरभ उर्फ सौरभ सम्राट उम्र 18 वर्ष पुत्र अशोक कुमार पांडेय 1694/72, अशोक मणि भवन मित्र मंडल कॉलोनी, अनीसाबाद थाना-फुलवारी शरीफ पटना-800002 का निवासी हूँ। मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (दसवीं & बारहवीं) तथा अन्य सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सूचना में मेरा नाम कुमार सौरभ अंकित है। एफिडेविट संख्या :- 10753/13-11-20 द्वारा मैं घोषणा करता हूँ की आज से सभी सरकारी, गैर सरकारी तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मैं सौरभ सम्राट के नाम से जाना जाऊंगा। कुमार सौरभ तथा सौरभ सम्राट दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

कुमार सौरभ उर्फ सौरभ सम्राट।

No. 1302---I, KUMAR SAURABH alias SAURABH SAMRAAT, aged 18 years, s/o Ashok Kumar Pandey, resident of 1694/72 Ashok Mani Bhawan, Mitramandal Colony, Anisabad P.s Phulwari sharif, Patna 800002 is declaring that from today onwards by virtue of affidavit no. 10753/13-11-20, I will be known as SAURABH SAMRAAT instead of KUMAR SAURABH in all government and private records including educational certificates. Saurabh Samraat and Kumar Saurabh are the names of one and the same person.

KUMAR SAURABH alias SAURABH SAMRAAT.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 31-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>